

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ. 3(26)पोषा / विविध / ICDS / 2014 / 55366- 98 जयपुर, दिनांक 10.4.18

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:-पूरक पोषाहार हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री का क्रय "अन्नपूर्णा भण्डार" से करने बाबत।


प्रसंग:-विभागीय पत्रांक 161907-939 दिनांक 06.12.2016

संदर्भ:- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक 23011-23 दिनांक 31.01.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा स्थापित उचित मूल्य की दुकान "अन्नपूर्णा भण्डार" से स्वयं सहायता समूहों को गरम पूरक पोषाहार एवं आर.टी.ई. पूरक पोषाहार में उपयोग ली जाने वाली कच्ची खाद्य सामग्री का क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश जारी किए गए थे। ताकि लाभान्वितों को किफायती एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध हो सकें।

इस सम्बन्ध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक 23011-23 दिनांक 31.01.2018 द्वारा पुनः विभाग को उचित मूल्य की दुकान "अन्नपूर्णा भण्डार" से पूरक पोषाहार में काम आने वाली कच्ची खाद्य सामग्री क्रय करने हेतु प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि वर्तमान में लाभान्वितों को महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत टेक होम राशन एवं गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः उक्त जानकारी आपके अधीनस्थ समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को पूरक पोषाहार हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं का क्रय अन्नपूर्णा भण्डारों से करने हेतु प्रोत्साहित करावें।

संलग्न-उक्तानुसार



(शुचि शर्मा)

आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

कमांक-एफ. 3(26)पोषा/विविध/ICDS/2014/ 55399-705 जयपुर, दिनांक 10.4.18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
- ✓ 5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(मनोज कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)